# प्रेस नोट दिनांक- 04.09.2024

**जनपद चन्दौली**

**□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान**

**□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 23 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।**

**चन्दौली:-** सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 03.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 23 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

**प्रेस-नोट   जनपद चन्दौली**

**दिनांक-04.09.2024**

**◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान**

**◆बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों व अलार्म की भी परखी जा रही व्यवस्था**

**◆बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश**

**चन्दौली-** जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

**प्रेस नोट दिनांक-04.09.2024**

**जनपद: चन्दौली**

## □कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा चलाया जा रहा है,संदिग्ध व्यक्तियों/ वस्तुओं व वाहनों की सघन चेकिंग अभियान

**चंदौली:-** श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद चन्दौली में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नबंर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जिससे आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

**प्रेस नोट दिनांक 04.09.2024**

**थाना अलीनगर जनपद चन्दौली**

**थाना अलीनगर पुलिस द्वारा 02 वारंटियो को किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दो वारण्टी को उनके निवास स्थान से दिनांक 04.09.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

**नाम पता गिरफ्तार वारण्टीगण**–

1. राजाराम पुत्र स्व0 रामनारायण निवासी ग्राम हण्डा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2. चन्दन सिंह उर्फ पवन सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी कुरहना थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

**विवरण वारण्ट** –

वाद संख्या 644/2023 धारा 135 विद्युत अधि0 तथा एण्टी पावर थेफ्ट जिला चन्दौली

वाद संख्या 644/2023 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना एन्टी पावर थेफ्ट अ0सं0 751/20 जिला चन्दौली

**गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-**

1.उ0नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.का0 राहुल कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

**प्रेस नोट दिनांक-04.08.2024**

**थाना सकलडीहा जनपद चंदौली**

**□थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा तीन वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

**चंदौली:-**पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सकलडीहा के कुशल नेतृत्व में थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से जारी NBW में वारण्टी अभियुक्तगण को उनके घर ग्राम नागनपुर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

**नाम पता गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-**

1.राजकुमार पुत्र रामजी उम्र करीब 40 वर्ष

2.राधेश्याम पुत्र नन्हकू राय उम्र करीब 58 वर्ष

3.दरोगा राजभर पुत्र रामनरायन उम्र करीब 58 वर्ष

निवासीगण ग्राम नागनपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

**विवरण वारण्ट**– सम्बन्धित वाद संख्या T201614180303905 धारा 198(ए) जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, मा0 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सकलडीहा चन्दौली

**गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-**

1.उ0नि0 विजय राज चौकी प्रभारी नई बाजार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल चौकी नई बाजार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.का0 नितीश कुमार चौकी नई बाजार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

**प्रेस नोट  दिनांक 04.09.2024**

**थाना व जनपद चन्दौली**

**□थाना चन्दौली द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

**चन्दौली-** पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अपराधियो व वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सदर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 दुर्गेश यादव मय हमराह द्वारा वांछित प्रदीप राम पुत्र स्व0 रामसुरत राम निवासी मथैला थाना बलुआ जिला चन्दौली के घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार वांछित का नाम** –

1.प्रदीप राम पुत्र स्व0 रामसूरत राम निवासी मथैला थाना बलुआ जिला चन्दौली

**गिरफ्तारी का विवरण** –

गिरफ्तारी का दिनांक 04.09.24 घटनास्थल वांछित के घर मथैला थाना बलुआ जिला चन्दौली

**अपराध विवरण वांछित-** मु0अ0सं0149/24  धारा 304/498ए/352/504/506 भादवि

**गिरफ्तार करने वाली टीम** –

1. उ0नि0 श्री दुर्गेश यादव  थाना व जिला चन्दौली
2. का0 विजय कुमार थाना व जिला चन्दौली
3. हो0गा0 अर्जुन राम

**प्रेस नोट दिनांक-04.09.2024**

**(आपरेशन कन्विक्शन)**

**□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा**

**□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) द्वारा दोषी जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-**

1-दिनांक 22.01.09 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.प्रकाश बिन्द पुत्र राधे बिन्द निवासी विरैली (बरठी कमरौर) थाना सैयदराजा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 12/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-04.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) द्वारा अभियुक्त 1.प्रकाश बिन्द पुत्र राधे बिन्द निवासी विरैली (बरठी कमरौर) थाना सैयदराजा चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**प्रेस नोट-दिनांकः 04.09.2024**

**यातायात पुलिस चंदौली**

**□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 04.09.2024 को कुल 78 वाहनों का चालान करते हुए 66,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।**

**□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान**

**□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी**

**चन्दौली**- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 78 वाहनों का चालान करते हुए 66,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

**क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लघन का प्रकार   चालान की संख्या**

1   मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-06

2   बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-03

3   बिना हेलमेट- 28

4   नो पार्किंग- 35

5   गलत दिशा में वाहन चलाना-03

6   अन्य- 03

**यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 04.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-**

**(1)संपूर्ण चालानः-78**

**(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-66,500/- रूपयें।**

**प्रेस नोट दिनांक-04.09.2024**

**थाना व जिला चन्दौली**

**□थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तगण गिरफ्तार**

**चंदौली:-** पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से जारी NBW में 04 वारण्टी अभियुक्तगण निवासी मसौनी थाना व जिला चन्दौली के घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार शुदा वारंटी का नाम**–

1.महेन्द्र पुत्र सोमारु नि0 मसौनी थाना व जिला चन्दौली

2.बेचू पुत्र मुराहु नि0 मसौनी थाना व जिला चन्दौली

3.शारदा पत्नी महेन्द्र नि0 मसौनी थाना व जिला चन्दौली

4.मुन्नी पत्नी बेचू नि0 मसौनी थाना व जिला चन्दौली

**अपराध विवरण वारंटी-**

मु0अ0सं0265/23धारा 323/504 भादवि थाना व जनपद चंदौली

**गिरफ्तार करने वाली टीम**–

1.उ0नि0 यज्ञनरायण यादव थाना व जिला चन्दौली

2.हे0का0 रामदयाल यादव थाना व जिला चन्दौली

3.हे0का0 संतोष सिह थाना व जिला चन्दौली

4.म0का0 पूजा सिह थाना व जिला चन्दौली

5.म0हो0 कंचन देवी थाना व जिला चन्दौली

**(आपरेशन कन्विक्शन)**

**□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा**

**□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-**

1-दिनांक 16.11.2001 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवा.अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.तेजू नट पुत्र अनवर निवासी नूरपुर थाना दिलदार नगर जिला गाजीपुर के विरुद्ध अपराध संख्या-04/2001 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा.अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार मुख्य आरक्षी राम प्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-04.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.तेजू नट पुत्र अनवर निवासी नूरपुर थाना दिलदार नगर जिला गाजीपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**जनपद चन्दौली**

**□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त**

**□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग के दौरान 03 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावनी**

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

**इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 03 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।**

**प्रेस नोट दिनांक-04.09.2024**

**जनपद: चन्दौली**

**□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त**

**□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग**

**□पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास**

**चंदौली:-**

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगमी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।